

कार्यालय-निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक :—शिविरा / माध्य / छाप्रोप्र / बी / असंपूर्ण / 2017-18 / दिनांक :— 02.09.2019

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक-मुख्यालय)

अत्यावश्यक

विषय :— राष्ट्रीय छात्रवृति पोर्टल (N.S.P.) पर अल्पसंख्यक पूर्व मैट्रिक छात्रवृति के (कक्षा 1 से 10) के कियान्वन के संबंध में।

प्रसंग :— अल्प संख्यक मंत्रालय, भारत सरकार का पत्रांक F.No.8-3/2019SS. दिनांक 29.07.19 एवं शासन का पत्रांक प.4(17) शिक्षा-1/2019पार्ट iv (अ.छा.) जयपुर दिनांक 20.08.19

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम मे लेख है कि अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा पूर्व मैट्रिक छात्रवृति (कक्षा 1 से 10) हेतु राष्ट्रीय छात्रवृति पोर्टल (N.S.P.) के लिये अल्प संख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये हैं। मंत्रालय ने अपने पत्र द्वारा यह बताया है कि अब तक जिला नोडल अधिकारी द्वारा संस्थाओं का सत्यापन बहुत कम किया जा रहा है। पत्र के साथ संलग्न राज्यवार प्रगति रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कुल 91264 संस्थाओं मे से अब तक 720 संस्थाओं ने संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा को सत्यापन हेतु आवेदन किया है, जो कि अत्यधिक न्यून है। अतः इसकी प्रगति अद्विलंब सुनिश्चित करावें।

आपको अल्पसंख्यक मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र की प्रति प्रेषित करते हुए पंजीकरण प्रक्रिया को अपनाने के क्रम मे दिये गये आवश्यक नवीन निर्देशो की प्रति भी प्रेषित की जा रही है। संलग्न पत्रानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करावें अन्यथा किसी भी विपरित परिस्थिति के लिये आप स्वयं उत्तरदायी होगें।

संलग्न:— उपरोक्तानुसार

प्रभारी अधिकारी (छात्रवृति)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर


प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग राजस्थान जयपुर।
2. अवर सचिव, अल्पसंख्यक मंत्रालय भारत सरकार को उनके प्रांसंगिक पत्र के क्रम मे सूचनार्थ।
3. समस्त सायुंक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा विभाग को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आप अपने कार्यालय स्तर से प्रभावी मोनिटरिंग करते हुए पालना सुनिश्चित करावें।
4. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा अभियान को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आप अपने कार्यालय स्तर से भी प्रभावी प्रबोधन व निरीक्षण करते हुए पालना सुनिश्चित करावें।

प्रभारी अधिकारी (छात्रवृति)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

- A copy of the advertisement issued by the State/UT may kindly be furnished. A template has already been provided by the Ministry for this purpose.
- The status of registration of Institutes, verified by the District/State Nodal Officer, as available on NSP as on 26.7.2019 is enclosed. It may be seen that the number of Institutes registered so far is very low even after 2 weeks of the opening of the Portal. The State Nodal Officers/District Nodal Officers may kindly be directed to expedite the registration of the Institutes on priority basis. Also due emphasis may be given on proper advertisement and publicity of these Schemes.

Yours faithfully



(Niva Singh)

Joint Secretary to the Govt. of India

Tel: 011-2436 4288

Copy to:

1. Shri Saurabh Tiwari, Joint Secretary, DBT Mission, Cabinet Secretariat ,
2. State Nodal Officer of all State/UTs.

Sr No.	State	Total Institute	Institutes applied for Registration in 2019-20	Verified by District / State Nodal Officer
1	Andaman And Nicobar	419	1	0
2	Andhra Pradesh	63588	442	4
3	Arunachal Pradesh	3106	9	4
4	Assam	70421	336	2
5	Bihar	82011	285	13
6	Chandigarh	246	25	4
7	Chhattisgarh	53492	43	10
8	Dadra And Nagar Haveli	352	0	0
9	Daman And Diu	145	7	3
10	Delhi	5534	112	1
11	Goa	1538	11	1
12	Gujarat	44506	649	72
13	Haryana	21835	131	3
14	Himachal Pradesh	17871	86	11
15	Jammu And Kashmir	29511	293	14
16	Jharkhand	46291	109	3
17	Karnataka	85566	805	18
18	Kerala	19259	976	69
19	Lakshadweep	49	0	0
20	Madhya Pradesh	150806	324	4
21	Maharashtra	109728	2217	220
22	Manipur	5074	68	10
23	Meghalaya	8675	53	7
24	Mizoram	3881	79	0
25	Nagaland	2926	86	27
26	Odisha	67578	91	10
27	Puducherry	815	11	3

28	Punjab	29801	498
29	Rajasthan	1526	44
30	Sikkim	91264	720
31	Tamil Nadu	1300	4
32	Telangana	60023	0
33	Tripura	17370	1577
34	Uttarakhand	3669	301
35	Uttar Pradesh	24301	12
36	West Bengal	250702	2
Grand Total		92125	5
		1465996	2859

संस्थान और संस्थान के नोडल अधिकारियों के पंजीकरण की प्रक्रिया तथा जिला/राज्य नोडल अधिकारियों द्वारा मान्यता प्रदान करना

1. संस्थान पंजीकरण प्रक्रिया

क) एनएसपी पर पंजीकरण से पहले संस्थान/विद्यालय/आईटीआई के पास एक वैध एआईएसएचई/डीआईएसई/एनसीवीटी/एससीवीटी कोड होना चाहिए। यह जानने के लिए कि संस्थान/विद्यालय/आईटीआई एनएसपी पोर्टल पर पंजीकृत है या नहीं, <https://scholarships.gov.in> पर जाएं और “search Institute/school/ITI” पर विलक करें।

ख) संस्थान/विद्यालय/आईटीआई जिनके पास वैध एआईएसएचई/डीआईएसई/एनसीवीटी/एससीवीटी कोड हैं और एनएसपी पर पंजीकृत नहीं हैं। वे एनसीपी पर दर्ज की गई किसी भी छात्रवृत्ति योजना के जिला या राज्य नोडल अधिकारी से उसे एनएसपी पर डालने के लिए अनुरोध कर सकते हैं।

ग) जिला या राज्य नोडल अधिकारी एआईएसएचई/डीआईएसई/एनसीवीटी/एससीवीटी कोड पर आधारित संस्थान को ढूँढ़ें। यदि संस्थान पंजीकृत नहीं है, तो नोडल अधिकारी अपेक्षित विवरण उपलब्ध करवा कर उसे लोड करवा सकता है। प्रणाली द्वारा सृजित उपयोगकर्ता प्रमाण और पासवर्ड दिए गए मोबाइल नं० पर भेजा जाएगा।

2. संस्थान का नोडल अधिकारी:-पंजीकरण प्रक्रिया

क) शैक्षणिक वर्ष 2019–20 से, प्रथम बार लॉगिन करने वाले संस्थान को अनिवार्य रूप से संस्थान के नोडल अधिकारी का पंजीकरण प्रपत्र भरना होगा।

ख) संस्थान का नोडल अधिकारी उपयोगकर्ता के प्रमाण का उपयोग करते हुए एनएसपी पर लॉगिन करेगा, तथा उसके विवरण की प्रविष्टि करते हुए और पहचान दस्तावेज को अपलोड करते हुए संस्थान के नोडल अधिकारी के पंजीकरण प्रपत्र को पूरा भरेगा। संस्थान का नोडल अधिकारी प्राप्त हुए ओटीपी का प्रयोग करते हुए प्रपत्र को लॉक करने के पश्चात उसका प्रिंट लेगा, प्रपत्र पर हुए ओटीपी का प्रयोग करते हुए प्रपत्र को लॉक करने के पश्चात उसका फोटोग्राफ चिपकाएगा, संस्थान के प्रमुख द्वारा उसे सत्यापित (हस्ताक्षर एवं संस्थान की सील/मोहर) कराएगा, वास्तविक फॉर्म को एनएसपी पर दर्ज किसी भी योजना के संबंधित जिला अथवा राज्य नोडल अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

ग) जिला अथवा राज्य नोडल अधिकारी वास्तविक फॉर्म तथा सिस्टम में प्रविष्ट किए गए विवरण का सत्यापन करेगा तथा अपने लॉगिन में प्रशासन भाग के अंदर “Verify Institute Registration Form” के विकल्प का उपयोग करते हुए एनएसपी पर संस्थान के नोडल अधिकारी के पंजीकरण प्रपत्र के व्यौरों को अनुमोदित/अस्वीकृत करेगा। उपयोगकर्ता के प्रमाण तथा नया पासवर्ड संस्थान के नोडल अधिकारी के पंजीकृत मोबाइल नं० पर भेजे जाएंगे। फॉर्म की मूल वास्तविक प्रति जिला अथवा राज्य नोडल अधिकारी के पास रहेगी तथा उसकी छायाप्रति संस्थान के नोडल अधिकारी को भेजी जाएगी जो उसे संस्थान के रिकार्ड में रखेगा।

घ) संस्थान का नोडल अधिकारी अपने मोबाइल नं० पर प्राप्त नए उपयोगकर्ता के प्रमाण, पासवर्ड तथा ओटीपी का उपयोग करते हुए लॉगिन कर सकता है। संबंधित अधिकारी एनएसपी पर संस्थान के लॉगिन पृष्ठ पर “Forgot Password” पर विलक करते हुए पासवर्ड को रीसेट कर सकता है।

ङ) पंजीकरण के मामलों हेतु, जहां संस्थान के पूर्व नोडल अधिकारी को स्थानांतरित कर दिया गया है तथा जिसने नए संस्थान के नोडल अधिकारी को लॉगिन प्रमाण उपलब्ध नहीं कराए हैं, वहां

संस्थान का नया नोडल अधिकारी औपचारिक रूप से जिला अथवा राज्य नोडल अधिकारी को मोबाइल नं० बदलने तथा नए मोबाइल नं० पर लॉगिन प्रमाण भेजने का अनुरोध करेगा। नया नोडल अधिकारी अपने प्रमाण-पत्रों के साथ प्रोफाइल को अद्यतन करने के लिए जिम्मेदार है।

च) यदि संस्थान के नए नोडल अधिकारी की पूर्व नोडल अधिकारी तक पहुंच है, तो मौजूदा नोडल अधिकारी द्वारा पंजीकृत मोबाइल नं० बदला जा सकता है। सिस्टम पुराने मोबाइल नं० पर आए हुए ओटीपी तथा पंजीकृत किए जाने वाले नए मोबाइल नं० की मांग करता है। मौजूदा नोडल अधिकारी भी नए नोडल अधिकारी के प्रमाण-पत्रों के साथ प्रोफाइल को अद्यतन करने के लिए मुख्यता: जिम्मेदार है।

3. जिला/राज्य/मंत्रालय का नोडल अधिकारी—संस्थान (संस्थानों) को शामिल करना/सत्यापन

क) जिला/राज्य/मंत्रालय का नोडल अधिकारी अपने प्रोफाइल में प्रशासन भाग के अधीन “Reset Institute Login Password” के विकल्प का उपयोग करते हुए पंजीकृत संस्थान के पासवर्ड को रिसेट करता है। वह संस्थान के नाम अथवा एआईएसएचई/डीआईएसई/एनसीवीटी/एससीवीटी कोड का उपयोग करते हुए संस्थान की खोज करेगा। वह खोज परिणामों में दर्शायी गई सूची में से संस्थान का चयन करेगा तथा “पासवर्ड को रीसेट करें” पर क्लिक करेगा। उसे इस विकल्प के माध्यम से संस्थान के नोडल अधिकारी का मोबाइल नं० बदलने की सुविधा भी प्राप्त है, ताकि वर्तमान अधिकारी के मोबाइल नं० पर ओटीपी प्राप्त हो सके।

ख) जिला/राज्य/मंत्रालय का नोडल अधिकारी अपने प्रोफाइल में प्रशासन भाग के अधीन “Add Institute/School” के विकल्प का उपयोग करते हुए नए संस्थान को शामिल कर सकता है। वह संस्थान के नाम अथवा एआईएसएचई/डीआईएसई/एनसीवीटी/एससीवीटी कोड का उपयोग करते हुए संस्थान की खोज करेगा। यदि संस्थान पहले से पंजीकृत है, तो जिला/राज्य/मंत्रालय का नोडल अधिकारी पासवर्ड को रीसेट कर सकता है। यदि संस्थान पंजीकृत नहीं है, तो वह संस्थान के नोडल अधिकारी का नाम तथा मोबाइल नं० विवरण उपलब्ध कराते हुए संस्थान को पंजीकृत कर सकता है तथा संस्थान के उपयोगकर्ता प्रमाण (User Credentials) सृजित कर सकता है। User Credentials सिस्टम द्वारा जेनरेट किए जाएंगे तथा दिए गए मोबाइल नं० पर एसएमएस के तौर पर भेजे जाएंगे। फिर संस्थान का नोडल अधिकारी प्रक्रिया के अनुसार संस्थान के नोडल अधिकारी के पंजीकरण हेतु आगे की कार्रवाई कर सकता है।

ग) जिला/राज्य/मंत्रालय का नोडल अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि संस्थान के नोडल अधिकारी का पंजीकरण, संस्थान के नोडल अधिकारी द्वारा फोटोग्राफ तथा पहचान प्रमाण के साथ प्रस्तुत संस्थान के प्रमाणित पंजीकरण प्रपत्र का वास्तविक रूप में सत्यापन के पश्चात एनएसपी पोर्टल पर अनुमोदित किया गया हो।

Process for Registration of Institute and Institute Nodal Officers and validation by District/State Nodal Officers

1. Institute Registration Process

- a) The Institute/School/ITI shall possess a valid AISHE/DISE/NCVT/SCVT code, before registering on NSP. To know whether Institute/School/ITI is registered on NSP Portal or not, go to <https://scholarships.gov.in> and click on “Search Institute/School/ITI”.
- b) The Institute/School/ITI, with valid AISHE/DISE/NCVT/SCVT code and not registered on NSP can request the District or State Nodal Officer, of any Scholarship scheme onboarded on NSP, to add it on NSP.
- c) The District or State Nodal Officer will search for the Institute based on AISHE/DISE/NCVT/SCVT code. In case the institute is not registered, the Nodal Officer can add it by providing the requisite details. The system generated User credentials and password will be sent on the mobile number provided.

2. Institute Nodal Officer: Registration process

- a) From Academic Year 2019-20 onwards, Institute logging in the first time will have to mandatorily fill the Institute Nodal Officer Registration Form.
- b) The Institute Nodal officer will login on NSP using the user credentials, and complete Institute Nodal Officer Registration Form by entering his/her details and uploading the identity document. The Institute Nodal officer after locking the form using the OTP received, will take the print, paste his/her photograph on the Form, get it attested by the Institute Head (Signature and Institute seal/stamp), will submit the physical form to the respective District or State Nodal officer of any scheme onboarded on NSP.
- c) The District or State Nodal Officer will verify the physical form and the details entered in system and approve/reject the Institute Nodal Officer Registration Form details on NSP using the option “Verify Institute Registration Form” under the Administration section in his login. The User credentials and new password will be sent to the registered mobile number of the Institute Nodal officer. The original physical copy of the form should be kept with District or State Nodal Officer and a duplicate copy is to be shared with Institute Nodal officer, who shall keep the same in Institute’s records.
- d) The institute Nodal officer can login using the new User credentials, password and OTP received on his/her mobile number. The concerned officer can reset the password by clicking the “Forgot Password” on Institute Login page on NSP.
- e) For the cases of registration, where previous Institute Nodal has been transferred and has not provided the login credentials to the new Institute Nodal Officer, the new Institute Nodal Officer shall formally request District or State Nodal Officer to change the mobile number and send the login credentials to

Process for Registration of Institute and Institute Nodal Officers and validation by District/State Nodal Officers

the new mobile number. The new Nodal Officer is responsible for updating the profile with his/her credentials.

- f) In case the new Institute Nodal Officer has access to the previous Nodal Officer, the registered mobile number can be changed by existing Nodal Officer. The system asks for the OTP on previous mobile number and the new mobile number to be registered. The existing Nodal Officer is also primarily responsible for updating the profile with credentials of the new Nodal Officer.

3. District/ State/ Ministry Nodal Officer: Adding / Verification of Institute(s)

- a) The District/ State/ Ministry Nodal Officer reset the password of a registered Institute using the option “Reset Institute Login Password” under the Administration section in his/her profile. He/She shall search for the Institute using Institute Name or AISHE/DISE/NCVT/SCVT Code. He/She can select the Institute from the list displayed in search results, and click on reset the password. He/She also has the facility to change the mobile number of Institute Nodal Officer through this option, so that the OTP is received on the mobile number of current officer.
- b) The District/ State/ Ministry Nodal Officer can add new Institute using the option “Add Institute/School” under the Administration section in his/her profile. He/She shall search for the Institute using Institute Name or AISHE/DISE/NCVT/SCVT Code. If the Institute is already registered, the District/ State/ Ministry Nodal Officer can reset the password. If Institute is not registered, he/she can register the Institute and create User credentials of the Institute by providing details such as Institute Nodal Officer Name and Mobile number. The User credentials will be generated by the system and will be sent as an SMS to the provided mobile number. The Institute Nodal Officer can then proceed for the Institute Nodal Officer registration as per the process.
- c) The District/ State/ Ministry Nodal Officer shall ensure that the Institute Nodal Officer registration is approved on the NSP portal after physically verifying the certified Institute Registration form submitted by the Institute Nodal Officer, along with photograph and identity proof.

Changes in National Scholarship Portal (NSP) for A.Y. 2019-20

Institute Related Changes

1. All the Institutes, with valid AISHE/DISE/NCVT/SCVT codes, are required to **re-register or register afresh** on National Scholarship Portal (NSP) so that they can verify the application form of their students.
2. Institutes (with valid AISHE/DISE/NCVT/SCVT codes) are required to fill Institute Nodal Officer (INO) Registration Form, and submit it to District/State Nodal officer of any scheme onboarded at NSP
3. Exceptional cases are highlighted in Application verification form, while verifying the student application

District/State Nodal Officer Related Changes

1. Facility to verify and approve Institute Nodal Officer (INO) Registration.
2. Facility to remove incorrect AISHE/DISE/NCVT/SCVT code from previously registered institutes.
3. Facility to check status of individual INO registration.
4. Status report of INO registrations in the entire district in DNO login.
5. Facility to view log of student application submission has been provided to State Nodal Officers. They can do so by providing the application ID of the student.

Student Related Changes

1. In cases where 'Institute State' is different from 'Domicile State' of the 'student', scanned copy of 'Bonafide certificate', certified from Institute is to be uploaded with the application.
2. Aadhaar exception handling mechanism is devised, in case of non-Aadhaar applications:
 - a. Applicants are required to upload the scanned copy of first page of bank passbook with photograph, during registration.
 - b. Applicants are required to upload scanned copy of 'Bonafide Certificate', certified from Institute.
3. The student will get the option to generate 'Bonafide certificate' through the system, after filling in all the details and selecting the scheme.
4. The student has the option to withdraw the registration in case he/she has filled incorrect details while registration or in case he/she has not submitted the application on NSP.
